रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 20] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 10, 2001/पौष 20, 1922

No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 10, 2001/PAUSA 20, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

का. आ. 25(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित मैसर्स गुजरात स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड, का जो कि एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में ब्लाक सं. 17, चौथा तल, उद्योग भवन, सेक्टर-II, गांधी नगर में है, के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए और नीतियों के समन्वयन और चमड़े की वस्तु के निर्माण के कामकाज को, प्रभावी सुचारू रूप से चलाने, ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन और उत्पादन के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अतिव्याप्ति और प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए और क्रमबद्ध रूप से बेहतर प्रबंधकीय संसाधनों के द्वारा कम्पनी के कार्यक्रम को प्रोन्नति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, यह आवश्यक है कि मैसर्स गुजरात राज्य इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक सरकारी कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ब्लाक 17, पांचवा तल, उद्योग भवन, सेक्टर-II , गांधी नगर-380011 है और उक्त मैसर्स गुजरात स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है, का समामेलन एक कंपनी में किया जाना चाहिए।

और मैसर्स गुजरात स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 15 मार्च, 1999 को हुई वार्षिक साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प में कंपनी के शेयरधारकों के द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है।

और मैसर्स गुजरात रूरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 3 मार्च, 1999 को हुए वार्षिक साधारण अधिवेशन में पूर्वोक्त कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा कर दिया है।

और समामेलन के प्ररूप आदेश की पारित प्रति उक्त कंपनियों को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजी गई है।

और उपरोक्त कंपनियों के समामेलन की स्कीम पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्— "इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) तारीख 21 जनवरी, 2000 गुजरात समाचार (अंग्रेजी) तारीख 22 जनवरी, 2000 और संदेश (गुजराती) तारीख 22 जनवरी, 2000 में प्रकाशित की गई थी।

और समामेलन स्कीम की बाबत कंपनी की संघ और कर्मचारीवृंद के प्रतिवेदनों के सिवाय कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए जिन पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

और अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश उक्त कंपनियों का समामेलन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मैसर्स गुजरात स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स गुजरात सरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड समामेलन आदेश 2000 है।

2. परिभाषाएं—आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) "विघटित कंपनी" से मेसर्स गुजरात स्टेट लेदर इण्डस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

(ग) परिणामी कंपनी से मेसर्स गुजरात रूरल मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. दोनों कंपनियों का शेयर धारण का पैटर्न—(क) 31 मार्च 1999 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	शेयर धारकों के नाम	शेयरों का संख्यांक	राशि (रुपये में)
1.	मेसर्स गुजरात स्टेट लेदर डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड	गुजरात के राज्यपाल	18,99,997	1,89,99,970
2.	गुजरात सरल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेट	गुजरात के राज्यपाल और उनके नाम निर्देशिती	61,12,607	6,11,26,070

(ख) मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड के रु. 1,90,00,000 के आधार और जोकि अब मैसर्स गुजरात रूरल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और उसके नाम निर्देशितों के नाम धारित हैं, समामेलन भाग के रूप में रद्द हो जाएंगे।

4. कंपनियों का समामेलन :—(1) नियत दिन से ही-मेसर्स गुजरात स्टेट लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड का समस्त कार्यभार और उपक्रम जैसा भी है जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां हैं, चाहे वे जिस प्रकृति की हों, जिसके अंतर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अभिधारण अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्मों के धनों का अग्रिम, सभी प्रकार के बही खाता ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियों, की बाबत और प्रत्येक विवरण के सभी अधिकार और शक्तियां आती हैं किन्तु विघटित कंपनियों की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आडमान, प्रतिभूतियां और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए बिना किसी आगे की कार्यवाही और कृत्यों को प्रवृत्त विधि के कारण परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या अंतरित और उसमें निहित समझी जाएगी।

(2) लेखा क्रम के प्रयोजन के लिए, समामेलन उक्त दोनों कंपनियों के 31 मार्च, 1998 को संपरीक्षित लेखा और तुलन पत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी किया जाएगा और उसके पश्चात् के संव्यवहार का समिलाती खाते में पूलित किए जाएंगे। विघटित कंपनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख को उसके अंतिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कंपनी के 31 मार्च 1998 के तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण—विघटित कंपनी के उपक्रम के अंतर्गत विकास रिबेट आरक्षित, यदि कोई है, सभी अधिकार, शक्तियों, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपत्ति चाहे जंगम हों या स्थावर आती हैं जिसके अंतर्गत नकद अतिशेष आरक्षित, राजस्व अधिशेष विनिधान और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत सभी संबंधित हित और अधिकार जो नियत दिन के ठीक प्रवृत्त विघटित कंपनी के हों या उसके कब्जा किए हों और उससे संबंधित सभी बहियां लेखा और दस्तावेज विघटित कंपनी के बाबत विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आती हैं।

5. संपत्ति की कुछ मदों का अंतरण—इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हैं, और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां यदि कोई हैं, बाबत परिणामी कंपनी को अंतरित होती हैं या तो वे परिणामी कंपनी के, यथास्थिति, क्रमशः लाभ या हानियां और राजस्व आरक्षिति या कमियों का भाग रूप होंगे।

6. संविदाओं की व्यावृत्ति—इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बंध पत्र, करार और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखित, विघटित कंपनी पक्षकार है, जो नियत दिन के पूर्व विद्यमान है या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कंपनी के विरूद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत और प्रभावशील होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत किया जा सकेगा मानों परिणामी कंपनी उसकी एक पक्षकार रही हो।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति—यदि नियत दिन को विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरूद्ध अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाहियां लंबित हो, जो विघटित कंपनी के उपक्रम के परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाने या इस आदेश में अंतर्विष्ट

किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगी या वह रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप में इसे प्रभावित नहीं करेगी, किन्तु अभियोजन, अपील या विधिक कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी जिस प्रकार यदि वह आदेश न किया गया होता तो विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहती, अभियोजित किया जाता और प्रवृत्त रहती।

8. **कराधान की बाबत उपबंध** :—नियत दिन के पूर्व विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अंतर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी है) की बाबत सभी कर, परिणामी कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहत के अधीन रहते हुए संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं।

9. **विघटित कंपनियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध** :—विघटित कंपनियों में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी (जिसमें पूर्णकालिक निदेशक भी हैं) नियत दिन से ही परिणामी कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह विघटित कंपनी में धारण करता यदि यह आदेश न किया जाता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक की परिणामी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या पारस्परिक सहमति द्वारा उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

10. **निदेशकों की स्थिति** :—विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसी रूप में पद धारण किए हुए हैं नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. **भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां** :—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों की अनुपालनों के अधीन रहते हुए विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवार्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधियों के न्यासी नियत दिन को न्यास की निधियों का अंतरण परिणामी कंपनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन का एक या अधिक न्यासों का गठन करेंगे, जिनके उद्देश्य, निबंध और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या विद्यमान निधियों का परिणामी कंपनी के तत्स्थानीय एक या अधिक न्यासों का अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कंपनी तथा परिणामी कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12. **भविष्य निधि की सदस्यता** :— विघटित कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध नियम 1952 (1952 का 19) की स्कीम के अधीन कर्मचारियों भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य थे और परिणामी कंपनी, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन के नियत दिन के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेगी और करती रहेगी जिस दर से विघटित कंपनी करती रही है।

13. **मैसर्स गुजरात स्टेट लेदर इण्डस्ट्रीज डेवलपमैंट कार्पोरेशन का विघटन** :— इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए नियत दिन से ही मैसर्स गुजरात रूरल इण्डस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा, मांग और कार्यवाही नहीं करेगा, सिवाय वहां तक जहां तक इस आदेश के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक हों।

14. **कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण** :— केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र अहमदाबाद स्थित कंपनी रजिस्ट्रार गुजरात को इस आदेश की प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, गुजरात परिणामी कंपनी द्वारा विहित फीस का संदेय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की तारीख एक माह के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार गुजरात विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाईल किए गए सभी दस्तावेज मैसर्स गुजरात रूरल इण्डस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ कंपनी का समामेलन किया गया है, की फाईल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार दस्तावेजों को अपनी फाईल में रखेगा।

15. **परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद** :—मैसर्स गुजरात रूरल इण्डस्ट्रीज मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के जिस रूप में वे नियत दिन के पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[फा. सं. 24/04/99/सीएल-III]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2001

S.O. 25 (E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that for the purpose of securing the principal object of M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Block No. 17, 4th Floor, Udyog Bhawan, Sector-II, Gandhinagar in the State of Gujarat and for the purpose of securing coordination in policy and the efficient working of manufacturing leather articles by avoiding overlapping and competition for achieving the social objectives for production and marketing of goods produced by the artisans in rural areas and in order to improve the performance of the companies for better resource management, it is essential that the Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Block No. 17, 5th Floor, Udyog Bhawan, Sector-II, Gandhinagar-382 011 and the said M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited which is also a Government company, shall be amalgamated into a single company;

AND WHEREAS M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited approved its amalgamation with M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the company in the Annual General Meeting held on the 15th March, 1999;

AND WHEREAS M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited approved the amalgamation with it of M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the former company in the Annual General Meeting held on the 3rd March, 1999;

AND WHEREAS a copy of the draft Order for amalgamation was sent to the aforesaid companies for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS the scheme of amalgamation of the aforesaid companies was published in the daily newspapers, namely, Indian Express (English) on the 21st January, 2000, Gujarat Samachar (English) on the 22nd January, 2000 and Sandesh (Gujarati) on 22nd January, 2000;

AND WHEREAS no objections were received on the scheme of amalgamation, except representations from the staff members and the Unions of the companies which were also considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two Companies, namely: -

1. Short title.- This Order may be called the Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited and Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited (Amalgamation) Order, 2000.

2. Definitions. - In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) "appointed day" means the date on which this Order is notified in the Official Gazette;

(b) "dissolved company" means the Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited;

(c) "resulting company" means the Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited;

3. Shareholding pattern of the two companies.-

(a) The shareholding pattern of the two companies as on the 31st March, 1998 is as under:-

Serial number	Name of the company	Names of share holders	Number of shares	Amount (Rs.)
1.	M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited	Governor of Gujarat	18,99,997	1,89,99970
2.	M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited	Governor of Gujarat and his nominees	61,12,607	6,11,26070

(b) 19,00,000 equity shares of Rs. 10/- each amounting to Rs.190,00,000 of M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited which are now held in the name of M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited and its nominees shall be cancelled as part of the amalgamation.

4. Amalgamation of companies.-(1) On and from the appointed date, the entire business and undertaking of M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited in as is where is condition, including all the properties, movable and immovable and other assets and liabilities, present or future whether liquidated or not of whatsoever nature, i.e. machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investment in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop, tools, goods in transit, advances of monies, all kinds of book debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecations, guarantees and all rights whatsoever, affecting the said properties of the dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vested in the resulting company in accordance with the law in force.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 1998 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance-sheet of the dissolved company as on the 31st March, 1998 and shall accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

Explanation.- The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, be in the possession of, the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. Transfer of certain items of property.- For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. Saving of contracts, etc.- Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually , as if, instead of the dissolved company the resulting company had been a party thereto.

7. Saving of legal proceedings.- If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. Provision with respect to taxation.- All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. Provisions respecting existing officers and other employees of the dissolved company.- Every whole-time officer (including whole-time Directors) or other employees (excluding the other Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have held under the dissolved company, if this amalgamation had not been made, and shall continue to do so unless and until his recommendation and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10 Position of directors.- Every Director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a Director of the dissolved company on the appointed day.

11. Provident, superannuation, welfare and other funds. - Subject to the compliance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the trustees of the Provident Fund or Superannuation Fund or Welfare Fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. Membership of provident fund.- All officers and employees of the dissolved company shall continue to be the members of the Employees Provident Fund Trust under the Scheme of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said Employees Provident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. Dissolution of M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited.- Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, M/s. Gujarat State Leather Industries Development Corporation Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or an officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. Registration of the Order by the Registrar of Companies.- The Central Government shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad, a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Gujarat, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of the Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Gujarat, shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited, with whom the transferor company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. Memorandum and Articles of Association of the resulting company.- The Memorandum and Articles of Association of M/s. Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F. No. 24/04/99/CL-III]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.